पूर्वोत्तर रेलवे

शुद्धिपत्र

विषयः— सहायक परिचालन प्रबन्धक,ग्रुप–बी, 30प्रतिशत (एलडीसीई) कोटा के विरूद्ध चयन के सम्बन्ध में।

संदर्भः— इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.02.2021

.....

इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.02.2021 के पैरा–**2क** के स्थान पर निम्नवत् पढा जाय :–

क. **प्री–क्वालिफाईंग लिखित परीक्षा**— उक्त लिखित परीक्षा में मात्र एक प्रश्न पत्र होगा, जो 100 अंको का होगा तथा उक्त प्रश्न पत्र में 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्पी प्रश्न होगे। अंको का बटवारा निम्नवत् होगा –

तकनीकी विषय	40 अंक
सामान्य ज्ञान तथा वैकल्पिक राजभाषा के प्रश्न	30 अंक
स्थापना एवं वित्त संबंधी नियम	30 अंक

उक्त लिखित परीक्षा में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को ही रिक्तियों के पॉच गुना के बराबर मेन लिखित परीक्षा में बुलाया जायेगा।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या हिन्दी/1/ओ एल/14/12 दिनांक 14.01.2002 एवं पत्र संख्या हिन्दी–94/रा.भा–1/10/8 दिनांक 25.01.96 एवं 14.06.96 तथा आईआरईएम के पैरा 204.3 के अनुसार व्यावसायिक योग्यता के लिए निर्धारित अंको का 10प्रतिशत अंक के बराबर प्रश्न राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियमों से संबंधित विषयों पर आधारित होगें। परन्तु ये प्रश्न अनिवार्य नहीं होगें। यदि व्यावसायिक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा तो राजभाषा नियम से संबंधित प्रश्न 10 अंको का होगा।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
सकाधि/राज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

सं. का/254/4–परिचालन/30प्रतिशत/एलडीसीई/2020 (I) दिनांक 10.02.2021

1. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/सचिव/महाप्रबन्धक/अपर महाप्रबन्धक/पूउरे/गोरखपुर।
2. प्रमुपरिप्र/सीएफटीएम/सीपीटीएम/सीटीपीएम/प्रमुसंधि/गोरखपुर।
3. उपमुसताधि/यातायात/उपमुपरिप्र/माल/उपमुपरिप्र/एफओआईएस/गोरखपुर।
4. मंरेप्र/वमंकाधि/वमंप्ररिप्र/इज्जतनगर,लखनऊ, वाराणसी।
5. वकाधि/निर्माण/गोरखपुर एवं सदस्य तकनीकी,रेल दावा अधिकरण/गोरखपुर,लखनऊ,पटना
6. महाप्रबन्धक/मुकाधि/आर ई/इलाहाबाद एवं सी पी एम/आर ई/गोरखपुर एवं लखनऊ।
7. महानिदेशक/आर डी एस ओ/लखनऊ एवं महानिदेशक/इरीटम/लखनऊ ।
8. सचिव/स्था0/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली एवं सलाहकार, निदेशक/सतर्कता, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
9. प्रबन्ध निदेश/डीएफसीसीआईएल कारपोरेशन/नई दिल्ली।
10. सलाहकार/निदेशक/सतर्कता/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली।
11. प्रबन्ध निदेशक/डीएफसीसीआईएल/नई दिल्ली।
12. प्रिंसिपल/जेडआरटीआई/गाजीपुर।
13. एमएसटीसी/गोरखपुर एवं वकाधि/मुख्यालय/गोरखपुर।
14. सचिव/प्रमुपरिप्र/गोरखपुर।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय महाप्रबन्धक / कार्मिक
गोरखपुर

सं. का / 254 / 4–परिचालन / 30प्रतिशत / एलडीसीई / 2020 (I) दिनांक 08.02.2021

1. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक / सचिव / महाप्रबन्धक / अपर महाप्रबन्धक / पूउरे / गोरखपुर।
2. प्रमुपरिप्र / सीएफटीएम / सीपीटीएम / सीटीपीएम / प्रनुसंधि / गोरखपुर।
3. उपमुसताधि / यातायात / उपमुपरिप्र / माल / उपमुपरिप्र / एफओआईएस / गोरखपुर।
4. मंरेप्र / वमंकाधि / वमंप्ररिप्र / इज्जतनगर,लखनऊ, वाराणसी।
5. वकाधि / निर्माण / गोरखपुर एवं सदस्य तकनीकी,रेल दावा अधिकरण / गोरखपुर,लखनऊ,पटना
6. महाप्रबन्धक / मुकाधि / आर ई / इलाहाबाद एवं सी पी एम / आर ई / गोरखपुर एवं लखनऊ।
7. महानिदेशक / आर डी एस ओ / लखनऊ एवं महानिदेशक / इरीटम / लखनऊ ।
8. सचिव / स्था0 / रेलवे बोर्ड / नई दिल्ली एवं सलाहकार, निदेशक / सतर्कता, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
9. प्रबन्ध निदेश / डीएफसीसीआईएल कारपोरेशन / नई दिल्ली।
10. सलाहकार / निदेशक / सतर्कता / रेलवे बोर्ड / नई दिल्ली।
11. प्रबन्ध निदेशक / डीएफसीसीआईएल / नई दिल्ली।
12. प्रिंसिपल / जेडआरटीआई / गाजीपुर।
13. एमएसटीसी / गोरखपुर एवं वकाधि / मुख्यालय / गोरखपुर।

विषयः– सहायक परिचालन प्रबन्धक,ग्रुप–बी, 30प्रतिशत (एलडीसीई) कोटा के विरूद्ध चयन के सम्बन्ध में।

.....

1. सहायक परिचालन प्रबन्धक (ग्रुप बी) 30 प्रतिशत संरक्षा कोटि की रिक्तियों के विरूद्ध सामान्य वर्ग के 02 (दो) पद की नामिका बनाने के लिए (एल डी सी ई) सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। लिखित परीक्षा का समय, तिथि व स्थान बाद में सूचित किया जायेगा। इस अधिसूचना को उपरोक्त परीक्षा के लिए तैयार रहने के लिए पूर्व सूचना के रूप में समझा जाय ।

2. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (जीपी)2018/2/31 दिनांक 19.03.2019 के अनुसार उपरोक्त लिखित परीक्षा निम्नवत् दो भागो में होगी :–

क. **प्री–क्वालिफाईंग लिखित परीक्षा**– उक्त लिखित परीक्षा में मात्र एक प्रश्न पत्र होगा, जो 100 अंको का होगा तथा उक्त प्रश्न पत्र में 100 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्पी प्रश्न होगे। अंको का बटवारा निम्नवत् होगा –

तकनीकी विषय	40 अंक
सामान्य ज्ञान तथा वैकल्पिक राजभाषा के प्रश्न	30 अंक(सा.ज्ञान–20 अंक+वैकल्पिक राजभाषा–10 अंक)
स्थापना एवं वित्त संबंधी नियम	30 अंक

उक्त लिखित परीक्षा में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को ही रिक्तियों के पाँच गुना के बराबर मेन लिखित परीक्षा में बुलाया जायेगा।

ख– **मेन लिखित परीक्षा**– उक्त लिखित परीक्षा में Descriptive Type का केवल एक प्रश्न पत्र होगा। जिसमें 100 अंको के व्यवसायिक प्रश्न होगें। उक्त लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा में बुलाया जायेगा।

3. इस सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए पात्रता की शर्ते अनुलग्नक–अ के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न की जा रही है। कर्मचारी वेतनमान 9300–34800 + 4200 ग्रेड पे (लेवेल–6) एवं ऊपर के वेतनमान में दिनांक 02.02.2021 को सम्बन्धित विभाग में 05 वर्ष की Non fortuitous service पूरी कर चुके है, विकल्प देने हेतु पात्र होगे। अधिसूचना के साथ संलग्न किये गये अनुलग्नक–अ में प्रस्तावित परीक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण भी दिया गया है।

.....2/–

02-2-21

4ए. सम्बन्धित विभाग के ऐसे ग्रुप–सी कर्मचारी जो कि उक्त सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के 30 प्रतिशत चयन में सम्मिलित होने के इच्छुक है, अनुलग्नक–ब के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन पत्र अपने नियंत्रक अधिकारी को दिनांक 26.02.2021 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। अभ्यर्थी सभी कालम को पूर्णरूप से सही–सही भरे, नियंत्रक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र में भी सभी प्रविष्टियों को प्रमाणित करने का कष्ट करें। नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से जॉच किए हुए आवेदन पत्र संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा भी जॉच कराकर दिनांक 08.03.2021 तक उपमुकाधि/राज0 को अवश्य अग्रसारित कर दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के **आवेदन पत्र में वेतनमान 9300–34800+4200ग्रेड पे (लेवेल–6) में नियुक्ति की नियमित तिथि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।**

4बी. कृपया अनावश्यक पत्राचार और विलम्ब से बचने के लिए केवल उन्ही अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र इस कार्यालय को अग्रसारित करना चाहिए जिन्होने उक्त परीक्षा के लिए पात्रता की सभी शर्तो को पूर्णरूप से भरा है तथा छठे एवं सातवे वेतन आयोग वेतनमान 9300–34800+4200ग्रेड पे (लेवेल–6) में दिनांक 02.02.2021 तक सम्बन्धित विभाग में 05 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। यह पॉच वर्ष की सेवा अप्रेन्टिस अवधि जोडकर मानी जायेगी। अपूर्ण तथा निर्धारित योग्यता न रखने वाले आवेदन पत्रों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

5. लिखित परीक्षा अनुलग्नक–स के रूप में संलग्न पाठ्यक्रमों के आधार पर होगी। संलग्न पाठ्यक्रम की प्रति नियंत्रक अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को अवश्य परिचारित (सरकुलेट) कर दी जानी चाहिए।

6. नियंत्रक अधिकरियों से अनुरोध है कि उनके अधीन कार्यरत यदि कोई कर्मचारी अवकाश, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति पर हो या स्थानान्तरित कर दिया गया हो तो 30प्रतिशत चयन की इस अधिसूचना की प्रति सभी अनुलग्नकों के साथ पावती सहित रजिस्टर्ड डाक से उनके वर्तमान पते पर भेजवा दें और उनसे इस अधिसूचना में दी गयी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर भेजने हेतु निर्देशित किया जाय। उनके आवेदन नियंत्रक अधिकारी व संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा जॉच व सत्यापित कर उपमुकाधि/राज को निर्धारित तिथि तक अवश्य भेज दिये जाय।

7. उपरोक्त परीक्षा के लिए पात्र कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाय। इस अधिसूचना की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी जाय।

8. **कृपया इस अधिसूचना की प्राप्ति की पावती अधोहस्ताक्षरी को अवश्य सूचित करें। सभी अभ्यर्थियों को यह भी सूचना दे दी जाये कि इस चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा किसी भी दशा में नहीं होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा वेतनमान 9300–34800+4200ग्रेड पे (लेवेल–6) में नियमित नियुक्ति की तिथि का उल्लेख आवेदन में अवश्य किया जाना चाहिए।**

संलग्नक/अनुलग्नक–अ, ब एवं स (पाठ्यक्रम)

(राजेश कुमार पाण्डेय)
सकाधि/राज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव/मुवाप्र/गोरखपुर । कृपया कन्ट्रोल फोन द्वारा सभी मंडलों, यूनिटों एवं रेलवे बोर्ड को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मुख्या0/गोरखपुर (यातायात)
3. रेलवे वेबसाईट प्रति।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

अनुलग्नक–अ

सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए पात्रता की शर्त

अ– कर्मचारी दिनांक 02.02.2021 को (70प्रति ात रिक्तियों के विरूद्ध अधिसूचना जारी होने की तिथि) ग्रुप–सी में कर्मचारी जो पे बैन्ड पी वी–2 (9300–34800) ग्रेड पे रू0 4200 (लेवेल–6) एवं ऊपर के वेतनमान में पॉच वर्ष की Non fortuitous service पूरी कर चुके है, (जिसमें तदनुरूपी पूर्व संशोधित वेतनमान में की गयी Non fortuitous service सम्मिलित होगी) पात्र होगें।

For Group-'B' selection (30% LDCE quota), Group-'C' employees working in pay band PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade pay of Rs.4200/- and above with 05 years of Non fortuitous service in the grade (including Non fortuitous service rendered in the corresponding pre-revised grades) in concerned dept. will be eligible

दिनांक 02.02.2021 को (70 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध अधिसूचना जारी होने की तिथि) 05 वर्ष की Non fortuitous service मानी जायेगी।

ब– सभी अभ्यर्थी जो उपरोक्त (अ) में दी गयी पात्रता की सभी शर्तो को पूरा करते हो, वे इस प्रतियोगितात्मक परीक्षा की प्री–क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की किसी विशेष संख्या के किसी भी प्रतिबन्ध के बिना लिखित परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होगें।

स– केवल ऐसे कोटियो (कैटैगरी) के कर्मचारी जो सवाप्र, ग्रुप–बी के सामान्य चयन नियमों के अन्तर्गत ग्रुप–बी में पदोन्नति के लिए पात्र हो वे एल डी सी ई (सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा) में भी सम्मिलित होने के लिए पात्र होगे।

2. परीक्षा की योजना (स्कीम)

अ. यह सीमित विभागीय प्रतियोगातात्मक परीक्षा अभ्यर्थियों के व्यवसायिक योग्यता के सम्यक, व्यापक व पूर्ण ज्ञान के आकलन हेतु परीक्षण के रूप में आयोजित होगी। यह लिखित परीक्षा निम्नवत् दो भागों में होगी।

1. **प्री–क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा** 2. **मेन लिखित परीक्षा**

उक्त दोनो लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा में बुलाया जायेगा।

ब– लिखिक परीक्षा के लिए विषय और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंको का विवरण निम्न होगा–

विषय	पूर्णांक	नोट
प्री–क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा	100	उक्त लिखित परीक्षा में मात्र एक प्रश्न पत्र होगा, जो 100 अंको का होगा तथा उक्त प्रश्न पत्र में 100 प्रतिशत केवल वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्पी प्रश्न होगे। गलत जबाबो के नकारान्तम अंक होगे। प्रत्येक गलत जबाब के लिए प्रत्येक प्रश्न हेतु आवंटित अंको में से एक तिहाई अंक काटा जायेगा।
मेन लिखित परीक्षा	100	उक्त लिखित परीक्षा में Descriptive Type का केवल एक प्रश्न पत्र होगा। जिसमें 10) अंको के व्यवसायिक प्रश्न होगे। उक्त लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अंधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा में बुलाया जायेगा।

मौखिक परीक्षा	अधिकतम अंक	योग्य पाये जाने हेतु कम से कम अंक
मौखिक परीक्षा सेवा अभिलेख	25 25	30अंक इन अको में कम से कम 15 अंक सेवा अभिलेख के होगें।
	50	

02.2.21

अनुलग्नक–ब

महाप्रबन्धक / कार्मिक
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर।

उचित माध्यम द्वारा

विषयः– सहायक परिचालन प्रबन्धक, ग्रुप–बी, 30प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध चयन।

संदर्भः– सं. का / 254 / 4–वाणिज्य / 30प्रतिशत / एलडीसीई / 2019 (I) दिनांक 08.02.2021

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के सम्बन्ध में, मै उक्त परीक्षा में बैठने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।, मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है–

1. नाम– (हिन्दी में).....
 (अंग्रेजी के बडे अक्षरों में)
1बी– पिता का नाम.....
2. पद
 (कार्यालय एवं स्टे ान)
3. पदस्थापना स्थल–.....
4. नियंत्रक अधिकारी
5. जन्मतिथि
6. क्या अजा / अजजा समुदाय के है (स्पष्ट लिखे)
7. यदि आप आरक्षित समुदाय के है,तो क्या चयन के पूर्व कोचिंग करना चाहते है, या नहीं
8. शैक्षणिक योग्यता

9. अर्हता के सम्बन्ध में विवरण–

 (अ) पद
 (ब) ग्रेड पे 4200 में नियुक्ति तिथि
 (स) ग्रेड पे 4200 में कार्यरत अवधि वर्ष..... माह.....दिन.....

.....2 / –

मै यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाए/घोषणा सत्य है, यदि गलत पायी जायेगी तो मुझे उपरोक्त ग्रुप–बी पद से पदावनति किया जा सकता है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....
पद.....
पी एफ नं.....
मो0नं0.....
दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गयी उपरोक्त सेवा विवरण एवं घोषणा को जॉचा गया एवं सही पाया गया है।

कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर.....
कार्यालय मुहर.....
दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीपदस्टेशन.....मेरे अधीन कार्यरत है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के प्रत्येक कालम में की गयी प्रविष्टि संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा जॉचा एवं प्रमाणित किया गया है। अभ्यर्थी उपरोक्त चयन हेतु पात्र है।

नियंत्रक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर.....
कार्यालय मुहर.....
दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री———————————
पदनाम———————————स्टेशन———————————के अन्तर्गत कार्यरत है। उसके आवेदन के प्रत्येक के सामने प्रविष्टि की गयी सूचना का संबंधित अधिकारी द्वारा जॉच और सत्यापन कर लिया गया है।

दिनांक.....

नियत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय मुहर)

बहुविवाह (एकाधिक) विवाह के सम्बन्ध में घोषणा

क– मै विवाहित हूँ और मेरी एक जीवित पति/पत्नी है।
ख– मै अविवाहित/विधुर हूँ।
ग– मैने अपने पति/पत्नी के जीवति रहने के दौरान अन्य व्यक्ति से विवाह करार किया है। माफी (छूट) की स्वीकृति हेतु आवेदन संलग्न है।

मै शपथ पूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण और घोषणा बिल्कुल सत्य है और मै यह समझता हूँ कि मेरी पदोन्नति के उपरान्त उपर्युक्त घोषणा यदि असत्य पाई जाती है तो मुझे ग्रुप–बी की सेवा से पदावनति लिए मै स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

आपका विश्वसनीय

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

SYLLABUS

OPERATING

PROFESSIONAL SUBJECT.

GENERAL 100 MARKS

a. Hairarchial set up and line of control operating department at the Divisional/Zonal and Railway Board level.

I TRAFFIC TRAIN AND POWER CONTROL ORGNATION:

Objectives and functional set-up of Control offices.
Duties of a Section Controller and efficiency indices of Control namely,
i) Speed and through put of a section.
ii) Punctuality.
iii) Engine detention.
iv) Observance of 10 hours Rules.
Duties and responsibilities of Dy. Chief Controllers and of station/yard staff towards control organization.
Train Crossing principles./
Special Instructions during abnormal conditions of working such as during emergencies like cyclone, Civil disturbances etc.
Working of trains and responsibilities of Station Master when control is interrupted.
Functions of control during accident.
Basic and important Register maintained in the Control Office.
Daily performance reporting, from Stations/Yards/Sheds of Area sub-control., Area/Sub-control to Divisional Control Office and from Divisional Control to Zonal Control and Zonal Control to Railway Board.
Periodical performance reporting and analysis of operating performance.
Power Control organization - Engine and Crew scheduling.
Factors affecting Engine performance and Engine utilization and methods of improvement.
FOIS and its importance.

II GOODS TRAIN OPERATIONS:

a. Working of Marshalling yards and Transhipment points.
b. Cause of yard and section congestion and remedial strategies.
c. All Indian Marshalling order and Railway wise Marshalling orders principles and procedures.
d. Rules regarding carriage of Explosive and other General Goods.
e. Indent Allotment and supply of Goods stock at stations.
f. Priority schedule.
g. Imposition of operating restrictions on wagon loading and acceptence of wagon indents.

Contd

k. Observance of civil ban and carriage of contraband goods etc.

l. Organisation of Divisional and National level for daily supervision and control Goods operation.

Daily status Report from Division to the Railway Head Quarter Control and from the Zone to Railway Board Central Control.

Causes of yard and Section congestion and remedial strategies.

Wagon utilization - Factors affecting optimum utilization of the wagon fle methods of improvement.

Running of unit trains and formation of captive rakes.

Block train Operations.

Nominated day loading.

Rationalization scheme of movement of Goods Traffic for avoiding by specific routes at specified station.

Rationalisation of booking and destination points and remedial movement via transhipment points.

m. Engine utilisation - Factors requiring special attention.

Supervision of control over movement of special type of st consignments. Specialized movements;

Oil tanks, vegetable oil tanks, Acid tanks, LPG tanks, POL's etc.

Sicklines and TOR repair depots and their functions.

Supply of coaches/wagons to C&W shops for POH and special repairs.

Working of Travelling Traffic Cranes for handling Heavy Consignm intermediate stations.

Detaching of sick wagons at enroute stations and their repair and e

Inter-change transaction-junction returns of inter Railway, Inter-change traffic

IV. CREW SCHEDULING AND 10 HOURS RULES:

Engine crew and Train Crew schedules.

Rules regarding outstation and home station rest etc.

Supervision at Station/Shed level and in Control Office to ensure ob of 10 hours rules.

V. OPERATING STATISTICS:

Definition, meaning and method of compilation of the fundamen derived units. Analysis of the Operating Statistics.

Important Operating efficiency indices as, their meaning and usage.

GENERAL KNOWLEDGE:

It would contain question on subject of interest as well as impo Questions should be based as to test the knowledge of candidates, which they w acquire by general observation/reading without specific study or detailed knowl of text books.

PROFESSIONAL SUBJECT:

WORKING OF TRAINS GENERALLY AND GENERAL AND SUBSIDIARY RULE

Responsibility and function of Engine Crew before starting and while on run.
Responsibility and function of Guard/Assistant Guard before starting and while on run.
Responsibility and function of Station staff in working of trains.
Various systems of working of trains
Classification of Stations, Standards of signalling.
Station Working Instructions and Block Working Instructions.
Line capacity and measures for augmenting it, signalling and train controlling.
Improvements namely, MAUQ. Tokenless Working doubling and automatic Block etc.
Use of combined Train Report, Guard' Rough Journal Book, Vehicle Guidance, Driver Ticket, Brake Power Certificate etc.
Rules regarding marshalling of vehicle on passenger, mixed and Goods Trains, Rules regarding AVB piped and Air Brake vehicle on trains and Brake Power Rules for Ghat Sec.

PASSENGER TRAINS OPERATION:

General principles and methodology of Time Tabling of passenger trains.
Consultative machinery for revision of Time-Table at Divisional, Zonal and Railway Board level.
Publication of Working Time Tables, Public Time Tables and sheet Time Tables etc.
Punctuality of passenger carrying trains.
Factors affecting punctuality of passenger carrying and methods of improving the punctuality.
Augmentation of train loads for meeting traffic requirements.
Planning of Tourist Coaches, Special Carriage and Special Trains.
Planning and Running of Holiday specials, Mela Specials, Tourist specials etc.
Introduction of new trains, extent ion of train runs introduction of through and sectional coaches.
Preparation of engine links and Driver/Guard links.
Coaching Operation information System and kits advantage.

ACCIDENTS AND SAFETY ORGANISATION:

Accidents, Types and their classification cases and their prevention.
Functioning of Railway Safety Organisation.
Chief Commissioner of Railways Safety and his functions.
Rules of reporting accidents.
Action to be taken in case of accidents.
Functioning of the various officials and departments during accidents.
Responsibility of the Control Organisation and of Station Masters and Traffic Staff on the affected Section.
Accident Enquiries and DAR action against staff held responsible for the accidents.
Review of analysis of accidents.

Accident statistics returns, Accident prevention.
Scientific analysis through psychometry of the accident proneness of st
working of station and Yard Operation.
Improved Mechanised aids to prevent human error like.
Improved signalling and inter-locking arrangement.
SM's Control and inter-cabin control over routes.
Track circuit and axle counters.
Route Relay interlocking.
Automatic Cab warning system and automatic braking system.
Safety Camps and Safety Campaigns.

IV) PLANNING ON THE RAILWAYS:

Functioning of the Chief Planning Officer and Traffic Planning Officer.
Prospective Planning and Planning of Works to be under taken under Annual W
Programmes and works under Urgency Certificates.
Analysis of Traffic bottleneck; and of Traffic trains to forecast future traffic requ
Planning of line capacity works and their justification by DCF Technique.
Procedure for allocation of line capacity works etc to capital, revenue and develo
Annual works Programmes, lump sum works and powers of DRMs, HODs
sanctioning work.

V) COMPUTERS ON THE RAILWAYS:

Use of Computers in ———

i) Compilation and analysis of Operating statistics.
ii) Compilation and analysis of Railway interchange of traffic between Rail
iii) Tracing of movement of wagons.
iv) COIS and FOIS.

FINANCIAL AND ESTABLISHMENT RULES:

ESTABLISHMENT MENTS:

The paper should also contain question on topics of national importance, activi
of Railways as also questions, which will test the awareness of candidates to develo
which are taking place.

A few questions on official language policy and official language rules will also
included in the paper of General Knowledge.